दिनांक 21.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित लखीसराय एवं शेखपुरा जिले के कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:—

उपस्थिति:—संचिका में संधारित।

1. **माप—तौल** :— दोनों जिले के सहायक नियन्त्रक, माप—तौल को निदेश दिया गया कि Demand बनाकर विभाग को प्रेषित की जाय।

निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक—सह—नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम** :— शेखपुरा जिले में वर्ष 2014—15 में जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम में कुल वित्तीय लक्ष्य 57.62 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 37.79 लाख रूपये है। इस कार्यक्रम में पक्का वर्मी बेड में वित्तीय लक्ष्य 28.71 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 21.87 लाख रूपये है, जो 76.18 प्रतिशत है।

लखीसराय जिले में इस कार्यक्रम में कुल वित्तीय लक्ष्य 90.59 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 65.70 लाख रूपये है। बायोपेस्टिसाईड में भौतिक लक्ष्य 75 हे० के विरूद्ध 56 हे० की उपलब्धि है। जिले में बीजोपचार मद में भौतिक लक्ष्य 155 हे० के विरूद्ध 115 हे० उपलब्धि है।

फेरोमेन ट्रैप में कम उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया जिले में फेरोमैन ट्रैप का डीलर नहीं है। इस योजना में शेखपुरा जिले की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

3. **वर्मी कम्पोस्ट** :— लखीसराय जिले में वर्मी कम्पोस्ट का वितरण नहीं किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में वर्मी कम्पोस्ट का डीलर नहीं रहने के कारण वितरण नहीं किया जा सका।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान का भुगतान 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से कर दें।

वर्मी कम्पोस्ट वितरण की जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

4. **गोबर गैस संयंत्र** :— गोबर गैस संयंत्र में शेखपुरा जिले में वर्ष 2014—15 में भौतिक उपलब्धि शून्य प्रतिशत है।

जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा को निर्देश दिया गया कि जिले के प्रत्येक गाँव में किसानों को गोबर गैस संयंत्र का प्रशिक्षण दिया जाय।

लखीसराय जिला में भौतिक लक्ष्य 100 के विरूद्ध उपलब्धि 51 एवं वित्तीय लक्ष्य 29.00 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 14.79 लाख रूपये है, जो 51.00 प्रतिशत है। जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि Syntex का गोबर गैस जिले में

लोकप्रिय नहीं है एवं जिले में Syntex का डीलर की कमी के कारण इसमें लक्ष्य की उपलब्धि हासिल नहीं हो पायी।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

5. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– इस योजना में वर्ष 2014–15 में लखीसराय जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 18.83 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 2.03 करोड़ रूपये है। जिले में जीरोटिल/सीड–कम फर्टिलाईजर ड्रील में वित्तीय उपलब्धि 5.85 प्रतिशत, पावर टीलर में 0.41 प्रतिशत, हाइड्रोलिक ट्रेलर में 5.00 प्रतिशत एवं रीपर बाईडर में 8.16 प्रतिशत है। जिले में ऑफलाईन एवं ऑनलाईन में अनुदान वितरण की राशि में अंतर पायी गयी।

इस योजना में वर्ष 2014–15 में शेखपुरा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 1.67 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 1.83 करोड़ रूपये है। जिले में लैंड लेजर लेभलर, पेडी ड्रम सीडर, सीड/फर्टिलाईजर डीबलर एवं सीड ट्रीटमेंट ड्रम में उपलब्धि शून्य प्रतिशत तथा रोटावेटर में उपलब्धि 40 प्रतिशत है।

श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा बताया गया कि शेखपुरा जिले द्वारा ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार 1.71 करोड़ के अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। इस पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लक्ष्य में वृद्धि हो जाने के कारण अनुदान की राशि का ऑनलाईन भुगतान नहीं हो पाया।

शेखपुरा जिले में ट्रैक्टर पर निर्धारित लक्ष्य से दोगुना अनुदान का वितरण किया गया है। इस संबंध में Justification प्राप्त करने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को निर्देश दिया गया।

श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को निदेश दिया गया कि वर्ष 2014–15 में 40HP या उससे अधिक की क्षमता का सब्सिडी एवं बिना सब्सिडी का कितने ट्रैक्टर की बिक्री सभी जिलों द्वारा की गयी है, इसकी सूचना प्राप्त करने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया जाय।

योजना के कार्यान्वयन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

6. **रब्बी अभियान** :– इस योजना में शेखपुरा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 3.67 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 3.67 लाख एवं लखीसराय जिले का वित्तीय लक्ष्य 1.11 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 1.04 करोड़ रूपये है।

इस योजनांतर्गत धातु कोठिला वितरण में लखीसराय जिले की वित्तीय उपलब्धि शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में धातु कोठिला का पंजीकृत डीलर नहीं होने के कारण उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी एवं इस मद की राशि विभाग को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

निदेशक (पी०पी०एम०) को निदेशित किया गया कि इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय से स्पष्टीकरण पूछकर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

धातु कोठिला वितरण में शेखपुरा जिले की वित्तीय उपलब्धि शत–प्रतिशत पायी गयी।

दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

7. **<u>खरीफ योजना</u>** :– इस योजना में लखीसराय जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 4.49 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 3.55 करोड़ रूपये है। जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 41.48 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 66.90 प्रतिशत एवं मक्का प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 17.95 प्रतिशत है।

शेखपुरा जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 20.00 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 32.81 प्रतिशत एवं जिरोटिल/सीडड्रिल से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 43.86 प्रतिशत है।

पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में कम उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि नई टेक्नोलॉजी होने के कारण यह किसानों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पायी है एवं जिले में इसके डीलर भी उपलब्ध नहीं है।

संयुक्त कृषि निदेशक, मुंगेर प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि प्रमंडल के सभी जिलों में योजनाओं की नियमित समीक्षा बैठक कर प्रगति सुनिश्चित करायें।

8. **<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u>** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शेखपुरा जिले में चावल एवं गेंहूँ की योजना लागू नहीं है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अरहर का बीज, बीज कंपनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उपलब्धि हासिल नहीं हो पायी।

लखीसराय जिले में चावल की योजना लागू नहीं है। जिले में समेकित कीट प्रबंधन में कम उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया।

9. **<u>मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना</u>** :– जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया कि इस योजनांतर्गत जिले में अरहर एवं चना का बीज बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

10. **<u>एकीकृत बीज ग्राम योजना</u>** :– दोनों जिले में एकीकृत बीज ग्राम योजना लागू नहीं है।

पिछले वर्ष दोनों जिले में धान की कुल 06 कंपनियों द्वारा कितना बीज उपलब्ध कराया गया है, इसकी विवरणी प्राप्त करने हेतु उप निदेशक, बीज को निदेशित किया गया।

शेखपुरा जिले में बीज कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये धान के बीज की मात्रा एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अंतर पाये जाने

की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश उप निदेशक, बीज को दिया गया।

11. **दियारा विकास योजना** :– शेखपुरा जिले में दियारा विकास की योजना लागू नहीं है।

जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि जिले के दो प्रखंडों यथा पिपरिया एवं बड़हिया में दियारा विकास की योजना चालू है।

12. **डीजल अनुदान** :– दोनों जिले में डीजल अनुदान की राशि का वितरण नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले में अच्छी बारिश होने के कारण अनुदान की राशि का वितरण नहीं किया जा सका। दोनों जिलों द्वारा कुल आवंटित राशि विभाग को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

निर्देश दिया गया कि पूर्व के वर्षों का लंबित डी०सी० विपत्र शीघ्र समर्पित किया जाय।

13. **ई–किसान भवन** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि जिले में 05 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 03 भवन हस्तगत करा दिये गये हैं, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक आदि कर्मी कार्य कर रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 06 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 05 भवन हस्तगत हैं एवं 01 भवन में फिनसिंग का कार्य चल रहा है। बताया गया कि सभी भवनों में कृषि योजनाओं का Function आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी ई–किसान भवन का Average Calculation करके बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। ई–किसान भवन में बिजली कनेक्शन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नाम से लिया जाएगा। इस कार्य हेतु आवंटन की माँग जिला कृषि मुख्यालय से करेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारियों को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, चहारदीवारी, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

14. **नमूना जाँच** :– शेखपुरा जिले में अमानक संग्रह में उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी। इस पर प्रधान सचिव द्वारा चिंता व्यक्त की गयी।

लखीसराय जिले में उर्वरक के 11 अमानक एवं कीटनाशी के 01 अमानक पाये गये हैं। जिले में कीटनाशी में नमूना संग्रह में उपलब्धि कम है।

उप निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण, बिहार, पटना को निर्देश दिया गया कि नमूना जाँच हेतु सभी जिलों के लिए बीज नमूना जाँच केन्द्र का प्रमंडलवार निर्धारण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

15. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में जिलों कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना